रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 29] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 15, 2010/पौष 25, 1931

No. 29] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 15, 2010/PAUSA 25, 1931

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2010

सं. 1/2010

सा.का.नि. 35(अ).—केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 68घ की उप-धारा (1) और धारा 68छ के साथ पठित तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति संपहरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 13) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में संख्या सा.का.नि. 85(अ) तारीख 13 फरवरी, 2008 द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 1, तारीख 13 फरवरी, 2008 का और संशोधन करती है, अर्थात् :–

उक्त अधिसूचना में टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :–

"**टिप्पण** : सक्षम प्राधिकारियों की अधिकारिता का क्षेत्र निरुद्ध व्यक्ति या वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध निरोध आदेश जारी किया गया है या वह व्यक्ति जिस पर आरोपित किया गया है या व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है या जिसके विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट या गिरफ्तारी का प्राधिकार जारी किया गया है के पते या निवास के आधार पर होगा यदि एक से अधिक पता या निवास स्थान है तो उस सक्षम प्राधिकारी को अधिकारिता होगी जिसकी अधिकारिता में प्रायोजक या अन्वेषक अभिकरण अवस्थित है । ऐसे व्यक्तियों की दशा में जिनका भारत में कोई पता या निवास स्थान नहीं है उस सक्षम प्राधिकारी को अधिकारिता होगी जिसकी अधिकारिता क्षेत्र में उस व्यक्ति का निरोध किया जाता है या आरोपित किया जाता है । स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन दंडनीय अपराध के समरूप किसी अपराध के लिए भारत के बाहर दांडिक अधिकारिता रखने वाले किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी अन्य देश की किसी तत्समान विधि के अधीन अपराध करने के लिए गिरफ्तार व्यक्ति या सिद्धदोष व्यक्ति या जिसके विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट या प्राधिकार जारी किया गया है, की बाबत सक्षम प्राधिकारी जिसकी अधिकारिता उस क्षेत्र पर होगी, सक्षम प्राधिकारी होगा जिसकी अधिकारिता के क्षेत्र में अवैध रूप से अर्जित सम्पति अवस्थित है या ऐसा सक्षम प्राधिकारी जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा आदेश द्वारा प्राधिकृत किया गया है ।"

[फा. सं. 11012/1/2009-एसओ (सीए)]

विक्टर जेम्स, अवर सचिव

टिप्पण—प्ररूपिक अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 85(अ) तारीख 13 फरवरी, 2008 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th January, 2010

No. 1/2010

G.S.R. 35(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 (13 of 1976) read with sub-section (1) of Section 68D and Section 68G of the Narcotic Drugs and Psychotropic

Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes the following amendments to the notification No. 1, dated the 13th February, 2008 of the Government of India, Ministry of Finance published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 85(E) dated the 13th February, 2008, namely :—

In the said notification, for the note the following note shall be substituted, namely :—

"**Note :**— The area of jurisdiction of the Competent Authorities shall be on the basis of the address or residence of the detenue or the person against whom detention order has been issued or the person who has been charged or person who has been arrested or against whom a warrant of arrest or authorisation of arrest has been issued. If there is more than one address or place of residence, the Competent Authority in whose jurisdiction the sponsoring or investigating agency is located, shall have the jurisdiction. In case of persons who do not have any address or place of residence in India, the Competent Authority in whose area of jurisdiction the person is detained or charged, shall have the jurisdiction. In respect of a person arrested or convicted or against whom warrant or authorisation of arrest has been issued for the commission of an offence under any corresponding law of any other country by a competent court of criminal jurisdiction outside India for an offence similar to an offence punishable under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, the Competent Authority who shall have jurisdiction shall be the competent authority in whose area of jurisdiction the illegally acquired property is located or the Competent Authority who has been authorised by the Central Government by an order."

[F. No. N. 11012/1/2009-SO (CA)]

VICTOR JAMES, Under Secy.

Note.—The formal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 85(E), dated the 13th February, 2008.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.